DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS– हिन्दुस्तान ----------------DATED 13/09/2022

तीन लॉजिस्टिक पार्क बनाने को मंजूरी मिली

बदलती दिल्ली

■ सज्जन चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों से मालवाहक वाहनों की भीड़ खत्म करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने योजना तैयार की है। दिल्ली के बाहरी हिस्सों में डीडीए की ओर से पीपीपी मोड पर तीन मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी गई है।

तीनों पार्कों की जल्द ही डीपीआर तैयार कर जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इन लॉजिस्टिक पार्कों में कुल 60 हजार मालवाहक वाहनों को खड़े करने की जगह होगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में आने वाले छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों को अब दिल्ली के अंदर तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है : देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद समय आने पर स्थानीय स्तर पर इस माल को सप्लाई किया जाता है। इससे सामान लाने और से जाने में होने वाले खर्च में बचत होती है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु की कीमत भी कम होती है। इन पार्कों में वाहनों की मरम्मत से लेकर गैराज और मैकेनिक की सुविधा भी मौजूद होती है।

यह मदद मिलेगी: गौरतलब है कि इन पार्कों के बनाने के पीछे दिल्ली और उसके आस पास के शहरों से ट्रैफिक और वाहनों के दबाव को कम करना है। इसके अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी आसानी पड़ेगी।

एनसीआर में नौ पार्क बनाए जाने हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनसीआर में नौ लॉजिस्टिक पार्क बनाने वाला है। इसके लिए योजना पर कार्य भी शुरू हो चुका है। बता दें कि 2025 तक पहले चरण में पांच लॉजिस्टिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से तीन दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। वहीं, बचे हुए चार पार्क 2026 तक बनाए जाएंगे। ये एनसीआर में बनाए जाने हैं।

मजदूरों की मौत पर सरकार और निगम से जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बक्करवाला स्थित लोकनायक पुरम कॉलोनी में पिछले सप्ताह सीवर सफाई के दौरान हुई दो मजदूरों की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने मजदूरों की मौत को लेकर मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस मामले में सरकार और नगर निगम के अलावा दिल्ली जल बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट को कानूनी सलाह देने के लिए पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश्वर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया है। पीठ ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाथ से नाली की सफाई का काम करने के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सहायता और एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए।

आप ने एलजी पर निशाना साधा

आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बक्करवाला में एलजी के अधीन आने वाली डीडीए की लापरवाही के चलते सीवर की जहरीली गैस से सफाईकर्मियों की मौत हुई है। भारद्वाज ने कहा, सफाई के दौरान कर्मचारियों को कोई उपकरण नहीं दिया था।

पीएम उदय योजना के नाम पर भ्रष्टाचार : भारती

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। भारती ने कहा कि डीडीए में भ्रष्टाचार कर दिल्ली की जनता के साथ ठगी हो रही है। सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष हैं। भ्रष्टाचार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

ग्रामीणों की सलाह से हो डीडीए एक्ट में संशोधन

नई दिल्ली। दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत की ओर से सोमवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में दिल्ली देहात की समस्याओं को लेकर प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजवीर सोलंकी ने कहा कि डीडीए एक्ट में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत की ओर से डीडीए व केंद्र सरकार से अपील की गई है कि डीडीए के किसी भी एक्ट में संशोधन से पूर्व ग्रामीणों की सलाह जरूर ली जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times DATED- SEPTEMBER 13, 2022

THE INDIAN EXPRESS,

Villages in greenbelt set for urban reform

Risha Chitlangia
risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: The Centre is in the process of finalising its Green Development Area (GDA) policy to allow planned development, including the permission to construct farmhouses and educational institutions, and conduct commercial activities in 88 greenbelt areas and villages with a large number of farmhouses.

The GDA policy, which was first put up for public scrutiny in February 2021, was made part of the draft Master Plan of Delhi-2041 that is likely to be notified by the end of this year.

At present, provisions in the Master Plan of Delhi-2021 don't allow for the planned development of these greenbelt villages. While some activities related to horticulture etc are permitted, land owners say that these are not financially viable options.

On Monday, the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) held a meeting with stakeholders of these villages to discuss the policy provisions before it is notified. MoHUA secretary Manoj Joshi, who chaired the meeting, said, "We had a meeting with the stakeholders today. We want to know their viewpoint."

> A big concern of farmhouse owners is the 12m ROW. We have requested the ministry to reduce it to 9 metres.
>
> **INDER BIR SINGH CHHABRA,** farmhouse owner

As per the policy, regulated development can be undertaken in 65 greenbelt villages such as Dhansa, Mitraon, Tikri Kalan, Kapashera, and parts of Rajokri, Ghumanhera, Bamnoli and Bijwasan. It also includes 23 Low Density Residential Area (LDRA) villages where a large number of farmhouses have come up over the past few years, including Rajokri, Mehrauli, Khanpur, Chattarpur, Devli and Bhatti.

The policy allows for construction based on the size of the plot, said a Delhi Development Authority (DDA) official. The minimum land required, the official said, is 600sqm, where permitted development works will be limited to agricultural, horticultural and solar fields, among others. Farmhouses, open markets and sports facilities will be allowed on a minimum plot of 4,000sqm, while educational institutions, non-polluting industries etc can come up on plots of size 10,000sqm and above.

During the Monday meeting, stakeholders raised concerns regarding right-of-way (ROW) provisions, number of dwelling units allowed for farmhouses, etc.

In the 23 LDRA villages covered by the policy, residents said they are finding it difficult to regularise their farmhouses.

Inder Bir Singh Chhabra, a farmhouse owner at Jaunapur who attended the meeting, said, "A big concern is the 12 metres ROW required for plots which are 4,000sqm or more in size... We have requested the ministry to cut this to nine metres. If not done, most farmhouse owners won't be able to regularise properties."

The Green Development Area plan

The policy is aimed at comprehensively developing areas under the greenbelt (peripheral villages) and low-density development areas (where farmhouses are located). It intends to allow regulated development while maintaining green areas

88 Number villages where it will be implemented

66 Greenbelt villages on the periphery of Delhi

23 Delhi villages where farmhouses are located

Some villages that will be developed under the plan

Bijwasan, Mehrauli, Rajokri, Devli, Asola, Ghitorni, Khanpur, Dhansa, Rangpuri, Guman Hera, Jaunti, Khajuri Khas, Kapashera, Bamnoli

Why is the policy needed?

- No policy is currently in place to regulate development
- Unauthorised plotted development on agricultural land is rampant
- Social infrastructure not available for residents of these villages
- Large scale development, especially housing projects planned in neighbouring villages under the land-pooling plan

What the policy will allow

Grade 1 Agricultural, horticulture, composting facility, wastewater treatment plant, solar fields, other renewable installations, burial grounds, crematoriums

Grade 2 Low-density residential areas (farmhouses), open-air markets, zoological parks, sports facilities, schools, health facilities, resorts, showrooms

Grade 3 Institutions of higher education, cyber and knowledge industry or research and development centres, agro processing units, exhibition halls

Concerns: These villages are under a greenbelt or green buffer zone, protected from large-scale development

DDA's 2022 housing scheme now live; process goes online

ABHINAV RAJPUT
NEW DELHI, SEPTEMBER 12

THE DELHI Development Authority (DDA) on Monday night launched its 2022 housing scheme in which people can book around 8,500 flats in Narela — all completely online. The scheme, live on the DDA website, has LIG and EWS category flats on sale in Narela sub city on a first come first serve basis.

The EWS flats are priced between Rs 7.91 lakh and Rs 12.42 lakh while the LIG flats are priced between Rs 18.10 lakh and Rs 22.80 lakh. A senior DDA official said the prices are the same as those of flats under the 2021 housing scheme. The official said a link will be provided on the website which one has to click to start the process. The booking amount for an EWS flat is Rs 10,000 while it is Rs 15,000 for an LIG flat.

"One will have the option to block the flat for around half an hour to make the payment. The advantage of this scheme is that customers can book or reserve their flat immediately by making an online payment. In this scheme, people will also get benefits of Pradhan Mantri Awas Yojana under the credit-linked scheme," he said.

In the first phase, three towers with around 1,000 flats will be opened for booking so there is no scattered allotment. When these are booked, flats in other locations will be included, said the official. The flats put up for sale are those rejected in previous housing schemes.

"The problem with the lottery system is that one may want a flat in Narela because their office is nearby but don't get it, while someone who does not want a flat in this location ends up getting it. So, the online system is a better way of ensuring buyers get their choice," he said.

The official said the DDA has taken several steps for the development of Narela, like improving infrastructure, widening roads and laying water supply lines. "The DDA has also contributed to the construction of the fourth phase Metro line (Rithala-Bawana-Narela corridor). Narela will also be directly connected to NHAI's Urban Extension Road stretch. Also, land has been allotted to Delhi Police for construction of various police stations in different sectors of Narela," he said.

HERE'S HOW ONE CAN BOOK A FLAT

- Log in to www.dda.gov.in or www.eservices.dda.org.in
- Click on the link that says first come first serve basis flats
- Select the flat
- It will be blocked for half an hour during which one can make online payment
- If one fails to pay within the time slot, the flat will be opened for sale
- Those interested can apply online for the flat and make the prescribed advance payment
- After this, DDA will issue a demand note to applicant. Under this, the allottee will be given three months to pay the full amount
- After payment of full amount, possession letter will be issued by DDA

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022

In Coronation Park's empty durbar, George V waits...

Was To Be Revamped By 2011 As Tourist Spot, Work Not Over

Anuja.Jaiswal@timesgroup.com

Photos: Tarun Rawat

STATUE OF GEORGE V

CORONATION PILLAR

- Spread over 55 acres
- Houses the Coronation Pillar and five statues mounted on pedestals

New Delhi: The canopy at the India Gate complex now proudly houses the statue of Netaji Subhas Chandra Bose. King George V, the emperor for whom the stretch to Viceroy's House was named Kingsway and which now is Kartavya Path, was long ousted from that lofty perch. His statue had been removed to Coronation Park, the site of the grand durbar where George V and his wife were crowned imperial rulers of India in 1911. Over time, the park has become the neglected graveyard of the colonial statuary of monarchs and viceroys.

Except for the statue of George V, identified as such by a marker, the others have no signage. According to old reports, the stony visages there are of viceroys Lord Hardinge, Lord Willingdon, Lord Irwin and Lord Chelmsford. One of the five statues is so badly marred as to have lost all its features.

The park complex houses the Coronation Pillar — a memorial obelisk — and the five statues mounted on pedestals. The 55-acre park was supposed to be redeveloped by 2011 as a historical tourist spot with an interpretation centre, but that plan is far from complete. In fact, an amphitheatre which was gradually coming up is now just as much a damaged relic as the statuary, its floor tiles having gone missing at several spots.

The redeveloped park was to have opened in 2011 to commemorate the centenary of the last durbar, held on December 12, 1911, to crown George V and to announce Delhi as British India's capital. But 11 years on, the diminished majesty of George V continues to fester.

AGK Menon, former convenor, Intach Delhi chapter, said the park was to have been given a complete facelift, with extensive landscaping and restoration work. Regretting that the bureaucrats did not take any interest in funding the revamp, Menon said, "It is a symbolic spot. Its significance should be highlighted."

"Everyone should learn why Delhi was made India's capital, who designed the city and when this happened," Menon said. Tourists thronging India Gate and other colonial spots should also visit a redeveloped Coronation Park, he added.

Ajay Kumar, director projects, Intach Delhi, told **TOI** that the art and culture organisation had carried out conservation work on the statues, but full restoration wasn't possible without reference images and detailed research. He also said that the interpretation centre at a redeveloped park would have collected information and made it available to tourists while also helping Intach restore the icons and create correct signage. Kumar added that maintenance needed to be carried out at regular intervals.

Divay Gupta, principal director (architecture), Intach, disclosed that the plan to turn Coronation Park into a historical tourist site was prepared by his organisation, but was not implemented by Delhi Development Authority.

Efforts to contact DDA spokesperson B Patel proved futile. No other official responded to queries related to the status of Coronation Park either.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- HINDUSTAN TIMES ----------DATED------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022

HC pulls up 'babudom' over petition pending since 1987

Richa Banka
richa.banka@htlive.com

NEW DELHI: Pained at the pendency for 35 years of a farmer's plea before the Delhi Development Authority (DDA) and the land and building department, the Delhi high court on Monday said "babudom of bureaucracy is symbolic of colonial mindset", and that it is high time that the countrymen are freed from such "carcinogenic tendencies".

In 1987, the petitioner's father's land at Maidangarhi was acquired by the DDA, for which he received compensation. However, a 1987 application filed for the allotment of an alternative plot is still pending. Subsequently, the petitioner moved the high court seeking a direction to the concerned authority to decide his application.

In its order on Monday, the high court said, ""Today, India is celebrating the Amrit Kaal of 75 years of its independence, and marching ahead shunning the shackles of servitude, and with fresh vigour and greater conviction to become a developed nation. The babudom of the bureaucracy is symbolic of the colonial mindset, and a major obstacle to attainment of this goal. It is high time that the mindset is shunned away for good, and the people of this country are liberated from such carcinogenic tendencies and vestiges of the colonial past."

> The babudom of the bureaucracy is symbolic of the colonial mindset...
>
> **JUSTICE CHANDRA DHARI SINGH,** Delhi high court

Justice Chandra Dhari Singh noted that despite its clear directions on August 2 to decide the man's application within 15 days, neither the application of the petitioner has been decided nor the concerned officials directed to remain present have bothered to be present before the court.

He said the "conduct of the officers is highly objectionable".

"The said officials did not even take the pain to seek time for extension of the period prescribed nor any application has been filed for exemption from personal appearance. This clearly depicts the high-headedness of the officials namely – vice-chairman, DDA and secretary, land & building department," the court said.

The judge, however, gave one last chance for the officers to appear before the court and posted the matter for hearing on Tuesday. "It is accordingly directed that both the concerned officials shall be present before this court tomorrow (Tuesday) with an affidavit explaining therein the reasons for non-compliance of the order of this court," the judge ordered.

Bharti alleges graft in illegal colony scheme

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: AAP on Monday said the Centre's Pradhan Mantri — Unauthorised Colony in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY) had seen only 15,000 houses out of eight lakh registered in three years.

AAP MLA Somnath Bharti alleged residents of unauthorised colonies were being charged extra for registration and also being asked for a bribe of Rs 1 lakh.

At a press conference, Bharti alleged if the property size in an unauthorised colony was less than 100 sqm, registration would cost Rs 800, but a person who had 45 sqm was being charged Rs 2,950, inclusive of GST and SGST. "The bigger scam is even after shelling out the money, their work isn't done," he said, adding two senior DDA officials were recently arrested by CBI for taking bribes.

"DDA told me till now they have given 15,000 registries. Mathematically, eight lakh houses will take 160 years to get registered. This is the great scheme of PM Modi," he said.

"If you call those 15,000 people, you will hear from 14,990 people that they have given bribes between Rs 1 lakh and Rs 10 lakh," he alleged.

Terming the allegations political vendetta, BJP MLA Vijender Gupta said Bharti was also a member of the land development authority and equally responsible if he thought there were any issues with the implementation of the scheme. "As a member, he should say it at the right platform. The authority will meet on Wednesday, and if he can bring genuine cases, I will help him," he said.

"This is a political vendetta and he is creating rumours based on unfounded allegations. Rather, there is corruption in work being carried out by the Delhi government in unauthorised colonies where sewers are not functional and there is no water connectivity," Gupta added.

Take corrective measures to avoid such incidents, says AAP

New Delhi: Aam Aadmi Party on Monday alleged that Delhi Development Authority has evaded responsibility for manual scavenging deaths and sought corrective measures to avoid such incidents. On Friday, a private sanitary worker fell unconscious and died after trying to unclog a sewer in Mundka and a security guard who tried to save him also fell unconscious and died.

"One safai karmachari and one guard died cruel deaths after being made to go down a sewer in a DDA colony in Bakkarwala," AAP chief spokesperson Saurabh Bhardwaj said on Monday.

"Two people died in DDA's Lok Nayak Puram Colony because they were made to enter a sewer without protection or equipment," he claimed, adding that the families of the two men have been ruined.

There was no immediate reaction from DDA on the issue.

"We all understand our responsibility towards our people when we get power. Which is why, as the vice-chairman of Delhi Jal Board, I sought a report on the matter from my office," he said.

"The Delhi LG is the first to jump on matters related to Delhi government, why is he silent on failures?" he asked, adding that Bharatiya Janata Party has also maintained silence on the issue. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 13 सितंबर 2022

हाई कोर्ट ने सीवर की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत पर संज्ञान लिया

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

पिछले हफ्ते सीवर की कथित तौर पर सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने घटना का संज्ञान लिया और इस मामले मे जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 11 सितंबर की खबर के आधार पर एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले मे नोटिस जारी किए। कोर्ट की मामले मे मदद के लिए सीनियर ऐडवोकेट राजेश्वर राव को न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है। पुलिस का कहना था कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 9 सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। ये नाले को साफ करने के लिए उसमें उतरे थे। चीफ जस्टिस शर्मा ने राव से कहा कि आप खबरों को पूरा पढ़िए। मैं आपको वह सामग्री दूंगा, जो आपकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जो कहता है कि हाथ से सीवर की सफाई के काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को (कुछ सहायता) मिलनी चाहिए, साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

NBT नजरिया

सीवर सफाई के दौरान गैस से हुई मौत के मामले में मुआवजा तो सिर्फ पीड़ित परिवार को राहत देगा। इस मामले में जवाबदेही तय कर सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है। मजदूर चाहें किसी प्राइवेट एजेंसी ठेके पर काम कर रहा हो या एमसीडी अथवा किसी अन्य विभाग का कर्मचारी हो। उनके सुपरवाइजर और उच्च अधिकारियों को सजा मिले, यह सुनिश्चितता तय होनी चाहिए।

डीडीए की लापरवाही से हुई वर्कर्स की मौतः आप

■ **विस, नई दिल्ली:** आप आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बक्करवाला मे एलजी विनय सक्सेना के अधीन आने वाली डीडीए की लापरवाही के चलते सीवर की जहरीली गैस से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि डीडीए की लोकनायक पुरम कॉलोनी में सीवर के अंदर घुसकर सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी को कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिया था। उसे बचाने के लिए एक सुरक्षा गार्ड उतरा लेकिन दोनों की मौत हो गई। ये डीडीए की लापरवाही थी जो सीधे दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के अधीन आता है। बीजेपी ने इस मामले मे ऐसी चुप्पी साध ली जैसे यह मामला दिल्ली में हुआ ही नहीं है। हाइकोर्ट मे जब मामला आया है तो हाइकोर्ट को भी गुमराह किया गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का हर सफाई कर्मचारी हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सतिश शर्मा का धन्यवाद करता है कि उन्होंने संज्ञान लिया।

पार्क बदहाल

काबुल नगर

डीडीए फ्लैट्स के सामने का पार्क बदहाल है। झूले और बेंच टूटी पड़ी हैं। यहां सफाई भी नहीं होती है। पार्क में कचरा फैला रहता है।
- सिटिजन रिपोर्टर मनीष कुमार

पीएम उदय योजना में भ्रष्टाचार का आरोप

■ **विस, नई दिल्ली :** आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। डीडीए में भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता के साथ ठगी हो रही है। उन्होंने कहा कि एलजी विनय कुमार सक्सेना डीडीए के चेयरमैन हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीन साल में 8 लाख घरों में से सिर्फ 15 हजार की रजिस्ट्री हुई है। हर साल औसतन 5 हजार रजिस्ट्री हो रही है। ऐसे में 8 लाख घरों की रजिस्ट्री 160 साल में होगी। बीजेपी ने 160 साल तक भ्रष्टाचार कर मोटी कमाई की स्कीम बनाई है।

अर्बन रीजेनरेशन के ड्राफ्ट को ग्रामीणों ने किया खारिज

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

- पंचायत ने कहा, इसी जगह ग्रामीण विकास योजना की बात करें
- दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों का कौशल वर्ग और वंचित समाज बेरोजगार होगा

डीडीए एक्ट-1957 में संशोधन पर राजधानी के लोगों से 30 दिन के अंदर सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं। अर्बन रीजेनरेशन के इस ड्राफ्ट को दिल्ली के 360 गांवों के ग्रामीणों को मिलाकर बनी संस्था 'दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत' ने सिरे से खारिज किया है। संस्था ने कहा है कि डीडीए को अर्बन रीजेनरेशन की जगह ग्रामीण विकास योजना पर बात करनी चाहिए।

दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत के अध्यक्ष राजबीर सोलंकी ने बताया कि अगर ये संशोधन किए जाते हैं तो राजधानी के ग्रामीणों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वजूद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 60 वर्षों मे दिल्ली के लगभग 130 गांवों की कृषि भूमि डीडीए ने औने-पौने दामों में अधिगृहीत की और उसे सैकड़ों गुना ज्यादा रेट पर बेचा है। गांव के किसानों को तो अधिग्रहण के बदले पैसे आदि मिल भी गए, लेकिन लुहार, खाती, नाई, मिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार जैसे कौशल वाले वर्गों को काम-धंधे के लिए कोई जगह नहीं दी गई। बरवाला गांव के दयानंद वत्स के अनुसार, पिछले और वर्तमान मास्टर प्लान में ग्राम विकास योजना का जिक्र किया गया है, लेकिन इतने सालों में एक भी गांव के लिए ग्रामीण विकास योजना नहीं मिली।

पूरे देश में लागू प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भी गांव में लागू नहीं हो सकी। इसकी वजह से दिल्ली की 36 बिरादरी के मूल निवासियों के पास लाल डोरे के घर का मालिकाना हक नहीं है। बुढेला के पारस त्यागी ने बताया कि डीडीए के पास लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए कोई स्टैंडर्ड सर्वे नहीं है। हरियाणा समेत कई अन्य प्रदेशों में लैंड पूलिंग के लिए कंसोर्टियम की शर्त नहीं है। वहां यह पॉलिसी सफल हो रही है। ऐसे मॉडल दिल्ली में क्यों लागू नहीं किए जा सकते।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------ दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 सितंबर, 2022 ------------

उत्तर पूर्वी जिले के कई स्कूलों में हो रहा शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : उत्तर-पूर्वी जिले के कई स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। कई स्कूलों में बच्चों को केवल दो घंटे पढ़ाया जा रहा है। जबकि कुछ स्कूलों में एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगाई जा रही हैं। छात्रों व अभिभावकों की इस शिकायत पर आल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी।

अशोक अग्रवाल ने चिट्ठी में लिखा कि खजूरी स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय व सर्वोदय बाल विद्यालय में छात्रों को मात्र दो घंटे के लिए पढ़ाया जाता है। इसके अलावा खजूरी व सभापुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय व राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय में विद्यार्थियों को एक दिन छोड़कर स्कूल में बुलाया जाता है। इतना ही नहीं तुकमीरपुर, सोनिया विहार, करावल नगर जैसे कई अन्य इलाकों में भी छात्रों को समान समस्या से गुजरना पड़ रहा है। जिसकी वजह से उनका पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता है और उनको परीक्षा देने में भी बहुत कठिनाई होती है। उन्होंने आगे लिखा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक से पांचवीं कक्षा तक में शिक्षा देने के लिए एक साल में कम से कम दो सौ दिन और आठ सौ घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार छठी से आठवीं कक्षा के लिए 220 दिन और एक हजार घंटे निर्धारित किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में छात्रों को एक दिन छोड़कर स्कूल बुलाना और उसमें भी दो घंटे पढ़ाना तो शिक्षा के अधिकार कानून का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। उन्होंने उपराज्यपाल से मामले पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पूरे मामले में दिल्ली सरकार से पक्ष मांगा गया है, लेकिन नहीं मिल सका।

डीडीए ने नहीं दी स्कूलों को जमीन : सरकार

इन स्कूलों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से लंबे समय से जमीन की मांग की जा रही, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते राजधानी के बच्चो को तमाम परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है। यह दुखद और चिंताजनक है कि डीडीए के पास भू-माफिया, बिल्डरों और भाजपा नेताओं को देने के लिए तो जमीन है, लेकिन दिल्ली में स्कूलों के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है।

विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण स्कूलों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। दयालपुर और सोनिया विहार स्थित स्कूल में छात्रों की संख्या लगभग छह से सात हजार है, जिनको चार शिफ्टों मे पढ़ाया जाता है। इस समय स्कूलों में इतनी जगह और सुविधा नहीं है कि छात्रों को व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा सके।

- मोहन सिंह बिष्ट, विधायक

मैने अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी जोन मे कार्यभार संभाला है। इस संबंध मे स्कूलो से रिपोर्ट लेने के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है।।

- रजिया बेगम, शिक्षा उपनिदेशक, उत्तर पूर्वी

डीडीए से संबंधित दो मामलों पर आप ने फिर एलजी को घेरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) से संबंधित दो मामलों को लेकर उपराज्यपाल (एलजी) को फिर घेरा है। आप ने कहा कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए अनधिकृत कालोनियों के लोगों से डीडीए अधिकारियों द्वारा द्वारा रिश्वत ली जा रही है। पार्टी ने बक्करवाला में सीवर की सफाई के दौरान दो सफाईकर्मियों की मौत को भी डीडीए की लापरवाही बताया है। दोनों ही मामलों में आप नेताओं ने एलजी से इस्तीफा मांगा है।

पहली प्रेसवार्ता में आप के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए अनधिकृत कालोनियों के लोगों से एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना डीडीए के चेयरमैन हैं। उनके कार्यकाल में हो रहे इस भ्रष्टाचार से उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन साल में आठ लाख घरों में से सिर्फ 15 हजार की रजिस्ट्री हुई है। यानी, हर साल औसतन पांच हजार रजिस्ट्री हो रही है। इस तरह आठ लाख घरों की 160 साल में रजिस्ट्री होगी।

एक अन्य प्रेसवार्ता में आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बक्करवाला में सीवर की जहरीली गैसों से दो सफाईकर्मियों की मौत के मामले पर कहा कि डीडीए ने लोकनायकपुरम कालोनी में सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों को कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली है। हाई कोर्ट में जब मामला आया है, तो कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया।

डीडीए ने आनलाइन आवासीय योजना-2022 लांच की

- पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे फ्लैट, पहले चरण में पोर्टल पर डाले गए 1,281 फ्लैट
- योजना में शामिल किए गए नरेला में बने 8,530 ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी आनलाइन आवासीय योजना-2022 सोमवार को लांच कर दी। पहले आओ, पहले पाओ आधार पर शुरू की गई इस योजना में नरेला सबसिटी में बने 8530 फ्लैट शामिल किए गए हैं। इनमें 5850 फ्लैट एलआइजी, जबकि 2880 ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल किए गए हैं। हालांकि पहले चरण में पोर्टल पर 1281 फ्लैट ही डाले गए हैं- 509 एलआइजी व 772 ईडब्ल्यूएस। डीडीए के अनुसार फ्लैटों की बुकिंग पूरी तरह आनलाइन होगी। ज्ञात हो कि योजना में शामिल सभी फ्लैट डीडीए की पूर्ववर्ती योजनाओं में आवंटियों द्वारा अलग-अलग कारणों से वापस कर दिए गए थे।

डीडीए की 2014, 2017, 2019 व 2021 की आवासीय योजनाओं में शामिल रहे इन फ्लैटों की संख्या 8,500 से अधिक है। डीडीए ने इन फ्लैटों को बेचने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पहले आओ, पहले पाओ की स्कीम पर आवासीय योजना निकालने का प्रस्ताव भेजा था। अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय ने इस स्कीम को स्वीकृति दे दी।

पूरी तरह आनलाइन इस आवासीय योजना के पहले चरण में नरेला के तीन टावरों की लोकेशन डाली गई है। जब यह बुक होने लगेंगे तो फिर इनमें दूसरी लोकेशनों के और फ्लैट भी डाले जाएंगे। एक साथ सारे फ्लैट न डालने की वजह डीडीए की कुछ सुरक्षा बलों के साथ चल रही बातचीत भी है। उनकी ओर से कहा गया है कि जो टावर वे लें, उसमें कोई सिविलियन नहीं होना चाहिए।

अधिकारियों के मुताबिक इस नई योजना में फ्लैटों की बिक्री सभी के लिए खुली रहेगी। चाहे कोई व्यक्ति लेना चाहे या संस्था, कोई राज्य सरकार लेना चाहे विभाग, कोई स्वायत्त संस्थान खरीदना चाहे अथवा कोई और। कोई एक फ्लैट भी ले सकता है और अनेक भी।

अधिकारियों ने बताया कि योजना लांच होने के बाद इसमें शामिल फ्लैट, जिसे जो पसंद आए, डीडीए को आवेदन कर निर्धारित अग्रिम भुगतान कर सकता है। इसके बाद डीडीए उसे डिमांड नोट जारी कर देगा। इसके तहत आवंटी को फ्लैट की पूरी राशि का भुगतान के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। पूरी राशि का भुगतान हो जाने पर डीडीए कब्जा पत्र जारी कर देगा। एलआइजी फ्लैट का एरिया 49.90 वर्ग मीटर तथा कीमत 22.80 लाख रुपये जबकि ईडब्ल्यूएस फ्लैट का एरिया 46.71-54.08 वर्ग मीटर और कीमत 10.75 से 12.42 लाख रुपये है। अधिक जानकारी के लिए www.dda.gov.in या www.eservices.dda.org.in पर क्लिक किया जा सकता है।

पहले आओ, पहले पाओ.. आवासीय योजना लांच कर दी गई है। पहले चरण में थोड़ा कम फ्लैट ही रखे गए है। जैसे जैसे यह बुक होते आएंगे, और फ्लैट डाल दिए जाएंगे। दरअसल, हमारी बातचीत दिल्ली पुलिस सहित कुछ अर्धसैनिक बलों के साथ भी चल रही है। इनकी ओर से पूरा पूरा टावर खरीदने की इच्छा जताई गई है। **-वीएस यादव,** आवास आयुक्त, डीडीए

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------------DATED

नई दिल्ली। मंगलवार • 13 सितम्बर • 2022

सख्ती

पुलिस आयुक्त ने थानाध्यक्ष व डीसीपी से मांगा एक्शन प्लान

राजधानी में अब पुलिस हटाएगी अतिक्रमण

पुरुषोत्तम वर्मा

नई दिल्ली। राजधानी में अब दिल्ली पुलिस दिल्ली अतिक्रमण हटाएगी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सभी जिला डीसीपी व थानाध्यक्षों से फुटपाथ व सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान मांगा है। पुलिस आयुक्त ने तीन महीने में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सोमवार को इसकी जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दी है।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली की सड़कों व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने से जहां ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं फुटपाथ खाली होने से लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के अभियान में एमसीडी व डीडीए आदि संबंधित एजेंसी को साथ लिया जाए। अगर ये एजेंसियां साथ नहीं आती हैं तब भी दिल्ली पुलिस अतिक्रमण हटाएगी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जिला डीसीपी ने मुख्यालय को सौंपने के लिए सभी थानाध्यक्षों से तीन महीने का प्लान मांगा है कि वह अपने थाना इलाके में किस-किस दिन और किन-किन जगहों पर अतिक्रमण हटवाएंगे। थानाध्यक्षों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर अतिक्रिमण हटाने के लिए बाहरी फोर्स न मिले, तब भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाना है। थानाध्यक्षों से यह भी कहा अतिक्रमण दोबारा न हो इसके लिए पूरी निगरानी रखनी हैं।

करोल बाग में किया गया अतिक्रमण। अमर उजाला

सिर्फ निगम, डीडीए आदि एजेंसियां हटाती थीं अतिक्रमण

अभी तक निगम, डीडीए व एनडीएमसी आदि एजेंसियां अपने-अपने इलाके से अतिक्रमण हटाती हैं। अतिक्रमण हटाने वाले एजेंसी एक दिन पहले पत्र लिखकर पुलिस से फोर्स मांगती है। फोर्स नहीं होने पर अतिक्रमण नहीं हटता। संबंधित एजेंसियां अतिक्रमण हटाकर चली जाती थी और उस जगह पर फिर कब्जा हो जाता था।

अतिक्रमण होने पर दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करती है : दिल्ली पुलिस अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 व 283 के तहत केस दर्ज करती है। इसमें सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया जाता है। हर थाने में ऐसे हर रोज कई मामले दर्ज होते हैं। इसके बावजूद अतिक्रमण खत्म नहीं होता है।

राष्ट्रीय सहारा

डीडीए एक्ट का प्रस्तावित संशोधन पास हुआ तो ग्रामीणों को होगा नुकसान : प्रो. सोलंकी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत के अध्यक्ष व पूर्व कुलपति प्रो. राजबीर सोलंकी ने कहा कि डीडीए एक्ट में प्रस्तावित संसोधन अगर संसद द्वारा पारित कर दिए गए तो ये दिल्ली के गांववासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वजूद के लिए मौत की घंटी साबित होगा।

उजाड़े गए किसानों व अन्य को काम धंधे व रहने की कोई जगह नहीं दी गई

सोमवार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रो. सोलंकी ने कहा कि प्रस्तावित संसोधन दिल्ली देहात के न केवल किसानों बल्कि अन्य वर्ग के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के समान होगा। प्रो. सोलंकी ने कहा कि 60 वर्षों में दिल्ली के लगभग 130 गांवों की कृषि भूमि औने-पौने रेट पर एक्वायर कर ली तथा वही डीडीए ने सैकड़ों गुना रेट पर बेची। उजाड़े गए किसानों व अन्य को काम धंधे व रहने की कोई जगह नहीं दी गई।

दिल्ली के 36 बिरादरी के मूल ग्राम निवासियों के पास लाल डोरे के घर का मालिकाना हक्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जो डीडीए लैंड पूलिंग पालिसी 10 वर्षों में फेल हो गई है, उसके लिए डीडीए के पास कोई स्टैंडर्ड सर्वे नहीं है। सोलंकी ने दिल्ली के मूल ग्राम निवासियों की सभी जातियों के सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक वजूद को बचाए रखने के लिए डीडीए एक्ट में प्रस्तावित संसोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की।

पीएम उदय के तहत लोगों से मांगी जा रही है रिश्वत : सोमनाथ भारती

नई दिल्ली (एसएनबी)। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक एवं डीडीए बोर्ड के सदस्य सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि पीएम उदय योजना के तहत संपत्तियों की रजिस्ट्री में एक लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष है, उन्हें यह जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कि तीन साल में 8 लाख घरों में केवल 15 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हो पायी है। विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि डीडीए और पुलिस में भ्रष्टाचार के लिए एलजी जिम्मेदार हैं। नौ साल से सीएम केजरीवाल ने गुड गवर्नेंस का मॉडल पेश किया है। भाजपा इस मॉडल को हरा नहीं पा रही है।

डीडीए में कथित भ्रष्टाचार के लिए एलजी को बताया जिम्मेदार

दिल्ली में जितनी भी अवैध कॉलोनी है, वहां पर 2020 के चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने अरबों खर्च करके सड़कें, गलियां, स्ट्रीट लाइट के साथ बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराईं। ऐसे में पीएम मोदी ने आनन-फानन में 2019 में घोषणा की कि हम 1731 अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी को नियमित कर देंगे और सबकी रजिस्ट्री करा कर देंगे। संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी गयी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीडीए ने ऑन रिकॉर्ड जानकारी दी है कि 15 हजार रजिस्ट्री के आवेदन दिए हैं। इस रफ्तार से सभी 8 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री होने में 160 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों की तरफ से उप-राज्यपाल से पूछना चाहता हूं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेताओं ने पीएम उदय के नाम पर जमीन हड़पनी शुरू कर दी है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PI

the pioneer
NAME OF NEWSPA NEW DELHI | TUESDAY | SEPTEMBER 13, 2022

AAP slams L-G for DDA's registry scam

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The AAP on Monday alleged that a huge scam is taking place in DDA in the name of registry where the residents are being charged Rs 3,000 for registry tax worth Rs 800 and even after paying registry tax the DDA officers are asking for Rs one lakh bribe from residents.

Addressing a press conference, the AAP MLA, Somnath Bharti said that Prime Minister Narendra Modi and BJP promised registries for residents of 1731 unauthorised colonies, but even today, only 15,000 houses out of 8 lakh have got a registry.

Alleging the scam in the booklet titled 'PM-UDAY-Delhi', Bharti said that despite rate list provided by the government, DDA is demanding a minimum Rs one lakh extra. "Pankaj Kumar, Assistant Director DDA was arrested by CBI for taking bribe while similarly, in Munirka, Assistant Director DDA Abhinash Dadar was suspended for taking bribe.

Upon my enquiry, DDA told me that till now they have given 15,000 registries. Out of 8 lakh houses, only 15000 houses are registered in three years. Then mathematically, 8 lakh houses will take 160 years to get registered. This is the great scheme of PM Modi," said Bharti.

"They are cheating and betraying the people of Delhi and the entire responsibility of this goes to Lieutenant Governor, Vinai Kumar Saxena. Being the chairman of DDA aren't you (L-G) responsible for corruption happening in your department? And shouldn't you resign because of this? Shouldn't a CBI investigation take place on the matter and ED should conduct a raid for the money trail?," Bharti questioned.

"LG is sending such cases to the CBI that never happened. Like corruption in DTC which is ludicrous because they haven't even issued their tender yet. As a member of DDA, I raised my obligations on the misuse of PM UDAY Scheme by leaders of BJP wherein they were making false registration of the government land," said Bharti.

BJP leaders submit 'evidence' to ACB in classroom scam

NEW DELHI: Delhi BJP leaders on Monday got their statements recorded with the Anti-Corruption Branch (ACB) on Monday in connection with a complaint of a "scam" by them with regard to construction of classrooms in schools run by the AAP government.

The leaders, including Delhi BJP spokesperson Harish Khurana, former minister Kapil Mishra and Neelkant Bakshi, also submitted evidence and other documents in support of their allegations.

Soon after filling documents BJP leaders said that they have submitted evidence and recorded their statements with the ACB. The BJP leaders said that they are confident that Lokayukta will punish the guilty involved in the classroom construction scam. Khurana said the BJP leaders may also submit the documents to the lieutenant governor, if needed.

"The issue was raised by us two years ago and we got complaint of corruption lodged with Central Vigilance Commission (CVC), the ACB and Lokayukta. The complaint with Lokayukta has already been referred for a probe," he said.

Bakshi, a former head of Delhi BJP's media relations department, accused AAP government of obstructing ACB probe. "In July 2019, a complaint was filed by us with Delhi Police for a probe into irregularities in construction of classrooms in Delhi government's schools.

If improving schools is graft then Govt must commit corruption: AAP

NEWDELHI: If constructing beautiful classrooms for children from low & middle income families is corruption, then every government, every minister of this country should commit such corruption. BJP wants Delhi's schools to be as bad as they are in states governed by them, they want kids of Delhi to sit on taat-pattis and not comfortable benches. SR

THE HINDU
TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022

DDA launches housing scheme, offers 8,500 flats

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) launched a housing scheme on Monday in which over 8,500 flats are on offer for the lower income group (LIG) and economically weaker section (EWS) on a "first-come-first-served" basis.

The urban body is offering 5,850 LIG flats in sector G-7 at ₹22.8 lakh and 2,880 EWS flats in sectors A1 to A4 for ₹10.75 lakh to ₹12.42 lakh in Narela.

A senior DDA official said the flats offered in this scheme are part of the urban body's unsold inventory which found few takers in the previous schemes.

The urban body has implemented its previously announced relaxation in norms for the allotment of EWS houses. Anyone from a family whose total annual income is less than ₹10 lakh can apply for EWS flats offered in this housing scheme.

अमर उजाला ERS--

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 13 SEPTEMBER, 2022

पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए ली जा रही एक लाख रुपये की रिश्वत : भारती

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस सिलसिले में आप नेता उन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप ने अब उनकी अध्यक्षता वाले डीडीए में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। आप विधायक व डीडीए के सदस्य सोमनाथ भारती ने खुलासा किया है कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। डीडीए में भ्रष्टाचार कर दिल्ली की जनता के साथ ठगी की जा रही है। इस कारण उपराज्यपाल को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि डीडीए और दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल के तहत है और उनमें भ्रष्टाचार रोकने की प्रमुख जिम्मेदारी उनकी है। डीडीए में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। पीएम उदय योजना में दिल्ली वालों को ठगा जा रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए एक रेट लिस्ट दे दी गई है, जिसमें 100 स्क्वायर मीटर से कम जमीन पर 800 रुपये कॉस्ट लगेगी, जबकि 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा और 250 स्क्वायर मीटर से कम होगा तो एक हजार रुपये लगेंगे। वहीं 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा पर ढाई हजार लगेंगे, जिसमें से एक व्यक्ति के यहां 41 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जीएसटी और एसजीएसटी लगाकर 2950 रुपये बताई है, जबकि 800 रुपये लगने चाहिए, लेकिन तीन हजार रुपये लग रहे हैं। इसमें बड़ा घोटाला यह है कि तीन हजार रुपये देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। संबंधित व्यक्तियों से कम से कम एक लाख रुपये अतिरिक्त डीडीए मांग रहा है। ऐसे मामलों में डीडीए के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

आप ने उपराज्यपाल को घेरने के लिए डीडीए में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया

उपराज्यपाल की इस पर जवाबदेही क्यों नहीं : भारद्वाज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के अधीन आने वाले डीडीए की लापरवाही से बक्करवाला में सीवर की जहरीली गैस से दो लोगों की मौत हो गई है। डीडीए की लोकनायक पुरम कॉलोनी में सीवर के अंदर घुसकर सफाई करने वाले कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए थे। उसे बचाने के लिए एक गार्ड उतरा, लेकिन दोनों की मौत हो गई। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के हर काम में दखल देने वाले उपराज्यपाल की इस पर जवाबदेही क्यों नहीं है। ब्यूरो

'L-G cannot enjoy power without accountability'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: After Delhi High Court took cognizance of the death of two people during cleaning of a sewer in the city, the AAP on Monday targeted Lieutenant Governor V K Saxena, saying the DDA which comes under him is responsible for the tragic incident.

The Delhi LG cannot enjoy power without accountability", AAP chief spokesperson Saurabh Bharadwaj said in a statement, reacting to the court's order.

There was no immediate reaction either from the LG Office or the Delhi Development Authority (DDA) to the AAP's charge.

A sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer they had gone down to clean, police had said.

Taking suo motu cognizance of the incident, a high court bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad directed registering a public interest litigation and issued notice to the Municipal Corporation of Delhi, Delhi government and Delhi Jal Board (DJB) in the matter on the basis of a news report dated September 11.

AAP MLA ALLEGES CORRUPTION IN DDA IN IMPLEMENTATION OF PM-UDAY

NEW DELHI: AAP legislator Somnath Bharti on Monday claimed that people in Delhi are being made to pay hefty bribes for registration of their property under the PM-Uday scheme and demanded a probe by the CBI. Addressing a press conference, the AAP MLA alleged a large scale corruption in the implementation of the scheme and targeted Delhi LG V K Saxena, saying its entire responsibility goes on to him as he heads the DDA. There was no immediate reaction either from the DDA or the LG Office to the AAP legislator's allegations. Bharti also trained guns at Prime Minister Narendra Modi and accused the BJP of "fooling and cheating" people of the Delhi, claiming that it will take 160 years to extend the benefit of the PM-Uday scheme to all the property owners in 1,731 identified unauthorised colonies (UCs) in Delhi with the pace ownership rights are being conferred to them.

पंजाब केसरी
DELHI

आप ने एलजी पर फिर लगाये आरोप

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आप ने एक बार फिर डीडीए के बहाने एलजी पर निशाना साधा है। आप नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। डीडीए में भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता के साथ ठगी हो रही है। एलजी विनय कुमार सक्सेना डीडीए के चेयरमैन हैं। भ्रष्टाचार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीन साल में 8 लाख घरों में से सिर्फ 15 हजार की रजिस्ट्री हुई है। हर साल औसतन 5 हजार रजिस्ट्री हो रही है। 8 लाख घरों की 160 साल में रजिस्ट्री होगी। वहीं एक अन्य मामले में आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बक्करवाला में एलजी के अधीन आने वाली डीडीए की लापरवाही के चलते सीवर की जहरीली गैस से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई है। डीडीए की लोकनायक पुरम कॉलोनी में सीवर के अंदर घुसकर सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी कोई उपकरण नहीं दिया था।